प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 385/22 दिनांक 27/9/2022

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7...........
(2) अधिनियम.............................. धारायें ....
(3) अधिनियम........................ धारायें......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या............518.............समय.......4:00 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– सोमवार, दिनांक 26.09.2022, समय 11.30 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 25.09.2022, समय 01.05 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पश्चिम 60 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता–जैन मन्दिर पाडूशिला जयपुर रोड़ मालपुरा, टोंक ....बीट सं....जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला................

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री मुरली जांगीड पुत्र स्व0 कन्हैयालाल उम्र 20 साल निवासी जाटों का मोहल्ला, कल्याणनगर पोस्ट पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– खेती ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री धर्मराज सैनी पुत्र श्री जगदीश लाल सैनी जाति माली उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट अलयारी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत पचेवर प0स0 मालपुरा जिला टोंक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 15,000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 15,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)...

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते हुये को पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं मुरली जांगीड पुत्र स्व0 कन्हैयालाल उम्र 20 साल निवासी जाटों का मोहल्ला, कल्याणनगर पोस्ट पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी हुं। मेरी माताजी श्रीमति अनिता देवी जांगीड के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान स्वीकृति हुआ है,

जिसकी प्रथम किश्त 15 हजार रूपये खाते में आ गये है, जिस पर हमने मकान का काम चालु कर दिया। हमारे मकान में काफी काम हो चुका है, फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना की दुसरी किश्त 45 हजार रूपये नहीं आये है, जिस पर मैं हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मराज सैनी से जाकर मिला तो उन्होंने दुसरी किश्त डलवाने के बदले 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, मैंनें उनसे काफी निवेदन किया कि मैं गरीब आदमी हुं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता लेकिन वह नहीं मान रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी धर्मराज सैनी, ग्राम विकास अधिकारी पचेवर से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

मुरली जांगीड पुत्र स्व0 कन्हैयालाल उम्र 20 साल निवासी जाटों का मोहल्ला, कल्याणनगर पोस्ट पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक मो0न0 6350548925, 9166777131

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 25.09.2022 समय 01.05 पी0एम0 पर परिवादी मुरली जांगीड पुत्र स्व0 कन्हैयालाल उम्र 20 साल निवासी जाटों का मोहल्ला, कल्याणनगर पोस्ट पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मेरी माताजी श्रीमति अनिता देवी जांगीड के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान स्वीकृति हुआ है, जिसकी प्रथम किश्त 15 हजार रूपये खाते में आ गये है, जिस पर हमने मकान का काम चालु कर दिया। हमारे मकान में काफी काम हो चुका है, फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना की दुसरी किश्त 45 हजार रूपये नहीं आये है, जिस पर मैं हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मराज सैनी से जाकर मिला तो उन्होंने दुसरी किश्त डलवाने के बदले 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, मैंनें उनसे काफी निवेदन किया कि मैं गरीब आदमी हुं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता लेकिन वह नहीं मान रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी धर्मराज सैनी, ग्राम विकास अधिकारी पचेवर से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है।" प्रार्थना पत्र परिवादी मुरली जांगीड को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में लिखा होकर स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "मेरी माताजी श्रीमति अनिता देवी जांगीड के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान स्वीकृति हुआ था, जिसकी प्रथम किश्त 15 हजार रूपये हमें मिल भी चुके है, प्रथम किश्त मिलने के पश्चात् हमने मकान का काम शुरू करवा दिया, मकान छत लेवल पर आ चुका है, परन्तु हमें नियमानुसार मिलने वाली दुसरी किश्त 45 हजार रूपये अभी तक भी नहीं मिले है, जिस पर मैं ग्राम पंचायत में जाकर हमारे गांव से सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मराज सैनी से मिला तो उसने दुसरी किश्त डलवाने के लिए 20 हजार रूपये की मांग की, मैं गरीब आदमी हुं, मैं 45 हजार में से 20 हजार रूपये रिश्वत के रूप में ग्राम विकास अधिकारी को नहीं देना चाहता हुं, बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरी धर्मराज सैनी, ग्राम विकास अधिकारी पचेवर से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है।" परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से **समय 1.15 पी0एम0 पर** कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की

जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मैं आज ही धर्मराज सैनी ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर मेरी दुसरी किश्त की बात करूंगा तथा साथ ही उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की वार्ता भी कर लूगां। ग्राम विकास अधिकारी ने आज मुझे मालपुरा ही बुलाया है।" अतः कानि0 जलसिंह को तलबकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया, मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस कर परिवादी एवं जलसिंह को समय 1.30 पीएम पर मालपुरा रवाना किया गया। **समय 4.30 पी0एम0 पर** श्री जलसिंह कानि0 248 उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये बताया कि "मैं व परिवादी मुरली जांगीड एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर मालपुरा पहुंचे, जहां पर परिवादी ने आरोपी को फोन कर उसका लोकेशन पता किया तो आरोपी ने परिवादी मुरली को कोर्ट परिसर मालपुरा के बाहर बुलाया, जिस पर रवाना होकर हम कोर्ट परिसर के बाहर व्यास सर्किल पर पहुंचे, जहां पर मैनें वॉयस रिकार्डर चालुकर परिवादी को दे दिया तथा मैं वहीं पास में ही खड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया तथा परिवादी से वार्ता करके चला गया, परिवादी वहां से रवाना होकर मेरे पास आया तथा मुझे वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसको मैनें बन्द कर अपने पास रख लिया, परिवादी ने बताया कि धर्मराज सैनी वीडीओ ने मेरी माताजी के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की किश्ते डलवाने की एवज में 20 हजार रूयपे मांगे फिर 15 हजार रूपये लेने पर राजी हुआ है उक्त वार्ता वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है। धर्मराज सैनी ग्राम विकास अधिकारी को कल दिनांक 26.09.2022 को 15 हजार रूपये देने है। इसके बाद मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि लेकर सुबह एसीबी कार्यालय टोंक पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर उपस्थित आया हुं।" मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो मांग सत्यापन होना पाया गया। दिनांक 26.09.2022 को **समय 8.00 ए0एम0 पर** परिवादी श्री मुरली जांगीड़ उपस्थित आया तथा बताया कि "दिनांक 25.09.22 को मैं व जलसिह जी एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर मालपुरा पहुंचे, जहां पर मैनें धर्मराज सैनी ग्राम विकास अधिकारी से उसकी लोकेशन पता करने के लिए फोन किया तो उसने मुझे कोर्ट परिसर मालपुरा के बाहर बुलाया, जिस पर हम रवाना होकर कोर्ट परिसर के बाहर व्यास सर्किल पर पहुंचे, जहां पर जलसिंह जी ने वॉयस रिकार्डर चालुकर मुझे दे दिया तथा वो थोड़ी दुरी पर जाकर खड़े हो गये। थोड़ी देर बाद धर्मराज सैनी जी आये तथा प्रधानमंत्री आवास में आंवटित मेरी माताजी से सम्बन्धित आवास की जानकारी लेकर शेष किश्ते डालने की एवज में 20 हजार रूपये की मांग कर 15 हजार रूपये लेने पर राजी हुये, तथा रिश्वत राशी आज ही देनी है। उक्त वार्ता वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी थी, इसके बाद वो वहां से रवाना हो गया मैं भी रवाना होकर जलसिंह जी के पास पहुंचा तथा उन्हें वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये उक्त बात बताई, जलसिंह जी ने वॉयस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रख लिया तथा मुझे आज दिनांक 26.09.2022 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15 हजार रूपये लेकर एसीबी कार्यालय टोंक आने के लिए कहा तथा वो वहां से रवाना हो गये। निर्देशानुसार मैं अभी रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आया हुं।" समय 08.05 ए0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से आयुक्त, नगर परिषद् टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री राजकुमार कानि0 160 को रवाना किया गया। समय 8.30 ए0एम0 पर राजकुमार कानि0 160 मय स्वतंत्र गवाह 1–श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी कनिष्ठ सहायक एवं 2–श्री सूरजमल गुर्जर कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद टोंक के उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में

लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादी व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 8.50 ए0एम0 पर परिवादी मुरली को आरोपी धर्मराज सैनी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15,000 रूपये भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा पेश उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री गणेश सिंह कानि0 चालक 375 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 15,000/–रूपये को परिवादी के शरीर पर पहने हुये पेन्ट की दाहिनी जेब में कोई शेष नहीं छोडते हुए गणेश सिंह कानि से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी मुरली को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर साफी बांधने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 9.15 ए0एम0 पर परिवादी को स्वयं की मोटर साईकिल से, जलसिह कानि0 248 व मनोज कुमार हैड कानि0 119 को जलसिह की मोटर से एवं अजीत सिह कानि0 एवं गवाह श्री सुरजमल को अजीत सिह की मोटर साईकिल से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि0 32, ईश्वर प्रकाश कानि0 256 व राजकुमार कानि0 160 एवं स्वतंत्र गवाह सत्येन्द्र कुमार तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप के प्राईवेट वाहन से पचेवर के लिए रवाना होकर समय 10.45 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के डिग्गी चौराहा मालपुरा पहुंचे, जहां पर परिवादी ने बताया कि "आरोपी का पदस्थापन तो पचेवर है, लेकिन वो मालपुरा में निवास ही रहते है, मैं उनसे फोन करके उनकी लोकेशन ले लुगां।" जिस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 6350548925 से आरोपी धर्मराज सैनी के मोबाईल नम्बर 9694799576 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने स्वयं को मालपुरा ही होना बताया तथा परिवादी को मालपुरा ही बुलाया। उक्त वार्ता को वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया, जिसकी पृथक से ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवायी जायेगी। परिवादी ने बताया कि धर्मराज सैनी मुझे अदालत परिसर के बाहर ही मिलेगा, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान के मालपुरा के लिए रवाना होकर समय 11.11 ए0एम0 पर लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु श्री जलसिह कानि0 से वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी मुरली को सुपुर्द कर अदालत परिसर मालपुरा के लिए रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमारियान स्टाफ के पीछे–पीछे रवाना हुआ। समय 11.20 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमारियान स्टाफ परिवादी के पीछे–पीछे अदालत परिसर मालपुरा के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी मोटर साईकिल को साईड में खड़ी करके आरोपी का इंतजार करने लगा, थोड़ी देर बाद परिवादी मोटर साईकिल लेकर वहां से रवाना हो गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उसके पीछे–पीछे रवाना हुआ। समय 11.28 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमारियान स्टाफ परिवादी के पीछे–पीछे जयपुर रोड़ स्थित जैन मन्दिर के पास पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति होण्डा एक्टिवा गाडी लेकर खड़ा हुआ दिखाई दिया, परिवादी उक्त व्यक्ति पास गया तथा उससे बात करने लगा तथा अपने जेब से पैसे निकालकर उसे दिये, जिनको उक्त व्यक्ति ने अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लिये। समय 11.30 पर परिवादी श्री मुरली जांगीड़ ने अपने सिर पर साफी बांधकर रिश्वत प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान के परिवादी के पास पहुंचा, परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने कानि0 जलसिंह से बन्द करवाकर सुरक्षित अपने पास रखा, परिवादी ने बताया कि **"यही धर्मराज जी सैनी है, जिन्होनें अभी–अभी मेरे से 15000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किये है।"** जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज सैनी पुत्र श्री जगदीश लाल सैनी जाति माली उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट अलयारी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत पचेवर प0स0 मालपुरा जिला टोंक होना बताया। उक्त व्यक्ति को परिवादी श्री मुरली जांगीड से प्राप्त की गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो वह घबरा गया तथा बोला कि **"मैनें कोई रिश्वत नहीं ली है।"** जिस पर परिवादी ने बताया कि **"इनके बताये अनुसार मैं आज अदालत चौराहे पर गया तथा इनसे फोन पर बात की तो इन्होनें मुझे जैन मन्दिर के पास बुलाया था, इनके बुलावे के अनुसार ही मैं अभी यहां आया था, तथा इनकी मांग के अनुसार 15000 रूपये इनको देते हुये गिनने के लिए कहा, जो इन्होंने अपने हाथ में लेकर इनकी गाड़ी (एक्टिवा) की डिक्की में रख लिये है तथा मेरा काम करने के लिए आज ही हमारे गांव आने के लिए कहा।"** इस पर आरोपी श्री धर्मराज बोला कि **"इसकी मां के नाम से वित्तिय वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आंवटित हुआ था, जिसकी प्रथम किस्त 15 हजार रूपये इन्हें मिल चुकी थी, दुसरी किश्त डलवाने के लिए यह मेरे पास आये थे, मैनें इन्हें इनका मकान देखकर किश्त डलवाने की लिए कहा था। मैनें इन्हें रिश्वत देने के लिए परेशान नहीं किया, इन्होनें ही अपनी मर्जी से 15000 रूपये दिये है।"** इस पर परिवादी स्वतः ही बोला कि **"धर्मराज जी झुंठ बोल रहे है, मेरी माताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित हुआ था, उक्त आवास की प्रथम किस्त 15 हजार रूपये हमें मिल चुके है, मकान छत हाईट तक हो चुका है, फिर भी हमें नियमानुसार मिलने वाली दुसरी किश्त 45 हजार रूपये नहीं मिल रहे थे, जिस पर मैं धर्मराज जी ग्राम विकास अधिकारी से मिला तो इन्होनें मेरी दुसरी किश्त डलवाने की एवज में 20 हजार रूपये मांगे तथा मेरे द्वारा काफी निवेदन करने पर 15 हजार रूपये लेने पर राजी हुआ। इनकी मांग के अनुसार ही मैनें आज इन्हें 15 हजार रूपये दिये है।"** इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुनः आरोपी से पूछा तो वह चुप रहा। आरोपी का वाहन आरजे 41 एससी 4488 होण्डा एक्टिवा 3जी जिससे आरोपी आया है की डिक्की खुलवाकर देखा गया तो एक रूपलक्ष्मी ज्वेलर्स लिखा हुआ लाल रंग के थेले के उपर 500–500 रूपये के कुछ नोट दिखाई दिये, जिन्हें गवाह श्री सुरजमल गुर्जर से उठवाया जाकर दोनों गवाहान से गिनवाये तो 500–500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये होना पाया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6WL	944488
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3EA	100398
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8GW	735191
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3DA	397691
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6AA	075194
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5HV	813922
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1MR	471206
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4QA	284295
9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8UH	551358
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0BU	242282
11.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4RD	456001
12.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9PR	917626
13.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9QB	370656
14.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1UU	032154
15.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8TC	302607
16.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8BS	803454

17.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0LB	448842
18.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2AP	182416
19.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5SR	223559
20.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6QL	632311
21.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8ES	813667
22.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7HT	322101
23.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3CD	742764
24.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9FV	016434
25.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1BA	692574
26.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9RK	843276
27.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5BL	343984
28.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1CG	932902
29.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8AC	298108
30.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8MM	207977

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त नोट एवं थैले को गवाह श्री सुरजमल के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके पश्चात् घटनास्थल आम रास्ता होने तथा भीड़भाड़ की सम्भावना को देखते हुये, आरोपी धर्मराज के दाहिने हाथ को कलाई के उपर से श्री ईश्वर प्रकाश कानि0 से तथा बांये हाथ को कानि0 जलसिंह से कलाई के उपर से पकड़वाकर गाड़ी में बैठाया गया तथा आरोपी के वाहन को राजकुमार कानि0 160 को सुपुर्दकर पुलिस थाना मालपुरा के लिए रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त स्टाफ एवं परिवादी के रवाना होकर इस समय पुलिस थाना मालपुरा पहुंच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लेन–देन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी धर्मराज के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी धर्मराज के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर अपने वाहन की डिक्की में रखे हुये रूपलक्ष्मी ज्वैलर्स के थैले पर जहां रिश्वत राशि रखी हुयी थी उक्त स्थान के धोवण के लिए एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। थैले का उक्त स्थान जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी को रूई के पोहे से साफ कर पोहे को उक्त तैयारशुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क सी–1, सी–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त रूई

(कॉटन) को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क–**सी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। थैले का उक्त स्थान जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी उस स्थान पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त थैला "रूपलक्ष्मी ज्वैलर्स" को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क – **टी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। गवाह श्री सूरजमल के पास पूर्व में रखवायी गयी रिश्वत राशि का पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया । उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। दौराने कार्यवाही परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड हेतु पंचायत समिति मालपुरा से तलबशुदा श्री संजय स्वामी, कनिष्ठ सहायक मो0न0 9782909597 उपस्थित आया, एवं परिवादी से सम्बन्धित प्रधानमंत्री आवास का रिकार्ड पेश करते हुये बताया कि "रिकार्ड अनुसार परिवादी की मां श्रीमति अनिता ने प्रधानमंत्री आवास हेतु आवेदन किया था, जिस पर दिनांक 09.10.2018 को मौके का निरीक्षण किया जाने पर वित्तिय वर्ष 2021–22 में पत्रांक 4041 दिनांक 12.03.2022 से प्रधानमंत्री आवास हेतु 1,20,000 रूपये की राशि स्वीकृत हुयी है, जिसमें से प्रथम किस्त 15 हजार रूपये दिनांक 24.03.2022 को आवेदिका के खाते में जमा करवायी जा चुकी है, इसके पश्चात् अभी तक दुसरी किश्त जमा नहीं हुयी है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर कार्य की प्रगति देखकर जिओ–टेगिंग करने के पश्चात् ही दुसरी किश्त जारी होती है, उक्त प्रकरण में अभी तक जियो टेंगिग नहीं हुयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित सभी रिकार्ड ऑनलाईन होता है, इसलिये आवेदिका अनिता देवी (आरजे128216089) से सम्बन्धित ऑनलाईन प्रपत्र की प्रति में आपको पेश कर रहा हुं।" संजय स्वामी द्वारा पेश ऑनलाईन प्रपत्र पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.15 पी0एम0 पर आरोपी श्री धर्मराज सैनी ग्राम विकास अधिकारी कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत पचेवर प0स0 मालपुरा जिला टोंक को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 2.30 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी धर्मराज सैनी एवं समस्त जब्तशुदा आर्टिकल्स को साथ लेकर पुलिस थाना मालपुरा से रवाना होकर घटनास्थल पहुंचकर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मुर्तिब कर आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी लेकर समय 05.00 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान के एसीबी चौकी पहुंचा। समय 5.30 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। समय 7.30 पी0एम0 पर रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर दिनांक 26.09.2022 को परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। **समय 8.30 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। **समय 8.45 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 16–16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम"** अंकित कर

सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। **समय 09.00 पी0एम0 पर** स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाशान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया, **समय 9.35 पी0एम0 पर** ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स जरिये मोहम्मद जुनैद है0कानि0 32 के जमा मालखाना करवाया गया। **समय 9.50 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री धर्मराज सैनी ग्राम विकास अधिकारी कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत पचेवर प0स0 मालपुरा जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री मुरली जांगीड की माताजी श्रीमति अनिता देवी (आरजे128216089) के प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास की किश्त राशि दिलवाने के एवज में वक्त मांग सत्यापन 20 हजार रूपये की मांग कर 15,000 रूपये लेना तय किया तथा अपनी मांग के अनुसरण में दौरानें ट्रेप कार्यवाही 15,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी एक्टिवा गाड़ी की डिक्की में रखी, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी, आरोपी के दोनों हाथ एवं थैले के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया, इस प्रकार आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री धर्मराज सैनी पुत्र श्री जगदीश लाल सैनी जाति माली उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट अलयारी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत पचेवर प0स0 मालपुरा जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(राजेश आर्य)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री धर्मराज सैनी पुत्र श्री जगदीश लाल सैनी, हाल ग्राम विकास अधिकारी, कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत पचेवर, पंचायत समिति मालपुरा, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 385/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3352-56 दिनांक 27.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

27.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।